(18)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 817–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.01.15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 05/निग0/2009-10

---

1– श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र अमीरचंद जाति ब्राहम्ण
2– श्रीमती निर्मला शर्मा पत्नी श्यामसुन्दर शर्मा (मृतक)
द्वारा वारिसान –
(1) पति श्री श्यामसुन्दर शर्मा
(2) कु0 श्रद्धा शर्मा
(2) कु0 स्वाती शर्मा
(2) संदीप
(2) मयंक
(2) गगन
सभी व्यस्क एवं कृषकगण ग्राम ककरावली
निवासीगण वीरांगना सहोद्राबाई वार्ड,
होली फेमली कान्वेंट स्कूल के पास,
बीना रोड, नगर एवं तहसील खुरई
जिला सागर ---- आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नि श्री स्वरूपकृष्ण
2– श्रीमती दीपशिखा पत्नी स्व. श्री अभिषेक शर्मा
3– श्री अनुराग
4– श्री अविनाश
5– श्री अभिजीत
6– श्री अचल
सभी व्यस्क पुत्रगण स्व0 श्री स्वरूपकृष्ण शर्मा
निवासीगण विष्णु परिसर एच.एस. 28, स्कीम नं. 54,
विजय नगर पुलिस स्टेशन के पास,
मंगल सिटी मॉल के सामने ए.बी.रोड इंदौर

7- श्री रूपकृष्ण शर्मा वल्द श्री अमीरचंद
निवासी सागर प्रिमियम टावर्स फ्लेट नं. 303,
चौथी मंजिल, सी-ब्लॉक, जे.के. हास्पिटल के पास,
कोलार रोड, भोपाल ---- अनावेदकगण

---

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री डी0डी0 मेघानी.
अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गिरी.
अनावेदक क्रमांक - 7 एकक्षीय.

---

:: आदेश ::

( आज दिनांक 8 जून, 2016 को पारित )

---

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 05/निगरानी/09-10 में पारित आदेश दिनांक 13-1-2005 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 6 के पूर्वज श्री स्वरूपकृष्ण द्वारा तहसीलदार, कुरवाई के न्यायालय में एक आवेदन इस आशय का पेश किया कि ग्राम ककरावली स्थित प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी आवेदकगण हैं उसका पूर्व से भूमि पर कब्जा चला आ रहा है अतः जांच कराई जाकर उसके नाम प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए अनावेदकों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश दिनांक 20-11-1998 द्वारा अनावेदकों का कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की । प्रकरण में कार्यवाही के दौरान उभयपक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई कि प्रकरण में रिकार्ड की आवश्यकता नहीं है और वे दोनों बहस हेतु राजी हैं इस पर अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 22-8-2006 को प्रकरण बहस हेतु नियत किया । इसके उपरांत अनावेदकों द्वारा तहसील न्यायालय का रिकार्ड बुलाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 22-8-06 को निरस्त कर दिया एवं प्रकरण

आदेश हेतु दिनांक 27-8-06 को नियत किया । दिनांक 20-8-06 के आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अपर कलेक्टर, विदिशा के न्यायालय में निगरानी पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 13-9-09 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की गई जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अपर आयुक्त के न्यायालय में अनावेदकगण आवेदक थे । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान श्रीमती निर्मला शर्मा की मृत्यु हो चुकी थी लेकिन अनावेदकों द्वारा उनके वारिसों को रिकार्ड पर लेने हेतु कोई आवेदन पत्र नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक श्रीमती निर्मला शर्मा के विरूद्ध आदेश पारित किया जो विधि शून्य है क्योंकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि मृतक के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा रिकार्ड की आवश्यकता नहीं बताई थी और बहस हेतु राजी थे और उसी पर से अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण बहस हेतु दिनांक 22-3-06 के लिए नियत किया था ऐसी स्थिति में बहस हेतु नियत दिनांक को अनावेदकों की ओर से रिकार्ड बुलाए जाने संबंधी प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं थी थी । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपर कलेक्टर के आदेश का परिशीलन नहीं किया गया ।

यह तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा कब्जा दर्ज करने का जो आदेश दिया गया है वह अवैधानिक है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार एवं अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता की धारा 115 एवं 116 का सही ढंग से परिसीलन न करते हुए अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उसका कब्जा दर्ज करने में त्रुटि की गई है क्योंकि संहिता की धारा 115 के तहत किसी पक्ष के आवेदन पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है और संहिता की धारा 116 के तहत एक वर्ष की त्रुटि को ही सुधारा जा सकता हे । तथा संहिता की धारा 115, 116 के तहत नये सिरे से कब्जा दर्ज नहीं किया जा सकता ।

यह तर्क भी दिया गया है कि अनावेदक का कभी भी कब्जा आलोच्य भूमि पर नहीं रहा तथा प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, रीवा द्वारा प्र0क0 सिविल अपील 82ए/06

पारित आदेश दिनांक 28-2-07 द्वारा आवेदक के स्वत्व को निरस्त कर दिया गया है ऐसी सूरत में जिस व्यक्ति का आदेश दिनांक तक कोई कब्जा शासकीय अभिलेखों में इंद्राज नहीं है तो कब्जा इन्द्राज का आदेश नहीं दिया जा सकता । उपरोक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अनावेदक मृतक रामलाल का कब्जा दर्ज किये जाने संबंधी आदेशों को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4- अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा श्रीमती निर्मला शर्मा के मृत होने का बिंदु अधीनस्थ न्यायालय में नहीं उठाया गया जबकि वे अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होते रहे हैं उनके पति स्वयं न्यायालय में उपस्थित थे, मृत्यु का तथ्य उन्हें लाना चाहिए था । अतः इस न्यायालय के समक्ष उक्त बिंदु उठाना न्यायसंगत नहीं है ।

यह तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में अभी विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या बिना रिकार्ड बुलाए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सुनवाई किया जाना न्यायोचित थी या नहीं । अतः अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है ।

यह तर्क भी दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने केवल रिकार्ड बुलाने या ना बुलाने के संबंध में निर्णय दिये हैं गुणदोष पर आदेश पारित नहीं किया गया है अभी प्रकरण का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में गुणदोष पर होना है । अतः आवेदकों की ओर से जो तर्क गुणदोष पर दिए जा रहे हैं, उन्हें वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उठा सकते हैं । अतः अपर आयुक्त का जो आदेश है वह उचित है, अतः उसे स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त की जाये ।

5- जबाव में आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अनावेदक यह जानते थे कि निर्मला देवी की मृत्यु हो चुकी है और चूंकि वे अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक थे अतः उनकी जिम्मेदारी थी कि वे मृतक के स्थान पर सही पक्षकार बनाते ।

यह तर्क भी दिया गया कि इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा घोर अनियमितता की गई है क्योंकि संहिता की धारा 115 एवं 116 के तहत कब्जा दर्ज नहीं किया जा सकता और ना ही नई प्रविष्टि की जा सकती है । यह कहा गया कि चूंकि संहिता की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय को यह अधिकारिता है कि यदि किसी राजस्व अधिकारी के द्वारा किसी प्रकारण में अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता की

है, तो यह न्यायालय ऐसे आदेश को उल्ट सकते हैं । उनके द्वारा कहा गया कि चूंकि समस्त अभिलेख इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध हैं अतः प्रकरण का निराकरण अंतिम रूप से किया जाये ।

6- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह विचारणीय प्रश्न है क्या नायब तहसीलदार को संहिता की धारा 115, 116 एवं 121 के अंतर्गत कब्जा दर्ज करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है या नहीं ? नायब तहसीलदार के आदेश को देखने से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है कि तहसीलदार द्वारा इस प्रकरण में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अनावेदकों के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से कि प्रकरण में अभी विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या बिना रिकार्ड बुलाए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सुनवाई किया जाना न्यायोचित थी या नहीं और इस न्यायालय द्वारा केवल इसी बिंदु पर विचार किया जा सकता है, से मैं सहमत नहीं हूँ । मेरे समक्ष संपूर्ण प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधता एवं औचित्यता का प्रश्न संनिहित है । ऐसी स्थिति में अनावेदक अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है । न्यायदृष्टांत 1986 आर0एन0 1 ( सौदान सिंह विरूद्ध म.प्र. राज्य तथा अन्य ) में माननीय उच्च न्यायालय, म0प्र0 ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि राजस्व मंडल की पुनरीक्षण के अंतर्गत शक्तियां अत्यंत विस्तृत हैं एवं उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अन्याय रोकने के लिए शक्तियों का उपयोग करना चाहिए । इससे सहमत होते हुए इस प्रकरण में सभी आदेशों पर विचार किया जा रहा है ।

7- प्रकरण को देखने स्पष्ट है कि यह प्रकरण कब्जा दर्ज करने के संबंध में है, जो अनावेदक क्रमांक 7 द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11-10-1998 पर प्रारंभ हुआ है । आवेदन में अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 6 के पूर्वज स्व. श्री स्वरूपकृष्ण शर्मा द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा दर्ज करने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए नायब तहसीलदार ने यह मानकर कि आवेदकों द्वारा नोटिस लेने से इंकार किया गया उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 20-11-98 द्वारा संहिता की धारा 115 के तहत आवेदकों के स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि पर चालू

वर्ष में स्वरूपकृष्ण शर्मा का कब्जा दर्ज करने का आदेश पटवारी को दिया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए विचारण न्यायालय का आदेश विधिसम्मत नहीं है क्योंकि संहिता की धारा 115, 116 में भू-अभिलेखों में किसी का कब्जा अभिलिखित करने के लिए कोई अधिकारिता विहित नहीं है । धारा 116 के अधीन एक वर्ष के भीतर भू-अभिलेख में गलतियों की दुरस्ती की जा सकती है । इसी प्रकार संहिता की धारा 121 के अंतर्गत भू-अभिलेखों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में भी भाग-1 में क्षेत्र नक्शा तथा भाग 2 में खसरे के सबंध में उल्लेख है, किंतु धारा 121 के नियमों के अधीन भी किसी व्यक्ति का नाम इन्द्राज खसरा के खाना नंबर 12 में करने के लिए आज्ञा देने की अधिकारिता तहसीलदार को प्रदत्त नहीं है । उक्त परिप्रेक्ष्य में 1997 आर0एन0 120, 1994 आर0एन0 395, 1998 आर0एन0 211, 1994 आर0एन0 411, 2000 आर0एन0 104 एवं 2007 आर0एन0 199 में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि संहिता की धारा 115, 116 के तहत कब्जे संबंधी नई प्रविष्टि नहीं की जा सकती । न्यायदृष्टांत 1994 आर0एन0 411 में यह व्यवस्था दी गई है कि धारा 121 नियम 6 से 11 में तहसीलदार द्वारा कब्जा प्रविष्टि के संबंध में कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता । न्यायदृष्टांत 1998 आर0एन0 211 में यह व्यवस्था दी गई है कि - संहिता की धारा -116 -- नई प्रविष्टि नहीं की जा सकती - संहिता में कब्जे की प्रविष्टि किए जाने का कोई उपबंध नहीं है । अनावेदक क्रमांक 7 द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन इस कारण भी प्रचलन योग्य नहीं था क्योंकि स्वरूपकृष्ण शर्मा द्वारा चार खातों के भूमिस्वामीगण के विरूद्ध एक ही आवेदन पेश किया गया है जो विधि विरूद्ध है । न्यायदृष्टांत 2013 आर0एन0 113 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि - भू-राजस्व संहिता, 1959 -धारा 115-116 - संयुक्त खाता - कुछ संयुक्त खातेदारों द्वारा कब्जे की प्रविष्टि के लिए आवेदन - नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती - संयुक्त धारकों को अन्य संयुक्त धारकों के विरूद्ध कब्जे की प्रविष्टि कराने का अधिकार नहीं है । नायब तहसीलदार, कुरवाई के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा उपरोक्त वैधानिक प्रश्न पर बिना विचार किए स्वरूपकृष्ण शर्मा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर संहिता की धारा 115 के तहत कब्जे की प्रविटि दर्ज करने संबंधी आदेश पारित किया गया है जो कि अवैधानिक एवं अनुचित है, जिसे स्थिर नहीं रखा

जा सकता । अतः नायब तहसीलदार, कुरवाई द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ-6-अ/98-99 में पारित कब्जा दर्ज करने संबंधी आदेश अवैधानिक एवं अधिकार क्षेत्र के बाहर होने से निरस्त किया जाता है । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी, अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेशों का प्रश्न है, जो अभिलेख बुलाने या न बुलाने के संबंध में होकर एक दूसरे के विपरीत हैं, भी निष्प्रभावी हो जाते हैं, इस कारण उक्त आदेश भी निरस्ती योग्य हैं । जहां तक उभयपक्षों द्वारा उठाये गये अन्य बिंदुओं का प्रश्न है उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षों द्वारा उठाये गये अन्य बिंदुओं पर विचार की आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालयों ( अपर आयुक्त, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार, कुरवाई ) द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाते हैं ।

( एम. के. सिंह )
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर